उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1,

संख्या-89/2015/171सीएम/92-1-2015-01आरईएस/2003

लखनऊ: दिनांक: 07 अगस्त, 2015

नियुक्ति/विज्ञप्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सीधी भर्ती के अन्तर्गत नव चयनित सहायक अभियंता (विद्युत संवर्ग), श्री सत्येन्द्र कुमार यादव को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2015/189/92-1-2015-01आरईएस/2003, दिनांक 16-02-2015 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सम्भल में सहायक अभियंता के पद पर तैनात करते हुए एक माह में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था।

2- उपर्युक्त नव चयनित सहायक अभियंता श्री सत्येन्द्र कुमार यादव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु समयवृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर विचार करते हुए उन्हें अपनी तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-2015/1684/92-1-2015-01आरईएस/2003, दिनांक 28-04-2015 द्वारा अधिकतम दिनांक 20 जून, 2015 तक की समयवृद्धि प्रदान की गयी थी। तदक्रम में श्री सत्येन्द्र कुमार यादव द्वारा अपने पत्र दिनांक 17-6-2015 द्वारा यह अवगत कराया गया कि वे वर्तमान में सहायक मण्डल विद्युत अभियंता/टी.आर.डी./गोण्डा पूर्वोत्तर रेलवे में कार्यरत हैं, जहॉ से उनका त्याग-पत्र तकनीकी रूप से स्वीकार कर लिया गया है, परन्तु कार्यभार से मुक्ति में विलम्ब संभावित है। अत: उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु पुन: अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

3- श्री सत्येन्द्र कुमार यादव द्वारा किये गये उपर्युक्त अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त नव चयनित सहायक अभियंता (विद्युत संवर्ग), श्री सत्येन्द्र कुमार यादव को सहायक अभियंता के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु पत्र निर्गत होने की तिथि से पुन: एक सप्ताह की समयवृद्धि प्रदान करते हुए उन्हें जनपद-लखनऊ में तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अत: इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2015/189/92-1-2015-01आरईएस/2003, दिनांक 16-02-2015 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय।

5- यदि उपर्युक्त नव चयनित सहायक अभियंता द्वारा निर्धारित समय सीमा तक अपने तैनाती के प्रखण्ड में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो शासन द्वारा उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-89/2015/171सीएम(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
9- श्री सत्येन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री सुरेश प्रकाश, ग्राम-कल्हापुर, पो0-प्योला, जनपद-सीतापुर (उ0प्र0) 261207 **(रजिस्टर्ड)**
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in